

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना

पीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत.....2.K.L.

-: आदेश :-

दिनांक :15.11.2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का.....17.K.N.D.A एवं भू-अभिलेख निरीक्षक.....2.K.L. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../ नायब तहसीलदार.....365.8.5 की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....17.K.N.D.A तहसील.....रावला जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत्.....2076 में खाता सं.1.1.....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1.	<u>17.K.N.D.A</u>	<u>11</u>	<u>रहम - S.B.B.T</u> <u>शाह रावला</u> <u>मण्ड</u>	<u>रहम - S.B.T</u> <u>शाह धानमण्ड</u> <u>मण्ड</u> <u>शेष खाता जमाबंदी</u> <u>घड़साना</u>



(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

क्रमांक/रीडर/प्र.गां.सं.अ./2021/1916-18

प्रतिलिपि:-

दिनांक :15.11.2021

1. तहसीलदार घड़साना/रावला को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री.....श्री. रावला मण्ड.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
घड़साना